जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

विपक्षी सामिएल हेम्ब्रम ने अपने समर्थन में प्रधानी बहाली वाद सं0– 08/2017 के आदेश फल, कर्मचारी जाँच, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकार के जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि की छाया प्रति दाखिल किया है।

विपक्षी को सुनने एवं अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक के द्वारा लगाया गया आरोप के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका है तथ सामिएल हेम्ब्रम को पूर्व तत्कालिन अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के द्वारा पी0ए0 वाद सं0– 08/2017–18 के द्वारा विधिवत प्रधान नियुक्त किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन तथ्य से परे है। अतएव आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

4/10/2023

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

4/10/2023

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with OKEN Scanner

| आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी और तारीख सहित |
|---|---|
| 2 | 3 |

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।
पी०डी० वाद सं०– 01/2017–18
आवेदक– इसमाईल हेम्ब्रम
बनाम
विपक्षी– समिएल हेम्ब्रम (प्रधान)
मौजा– मेंहदीपुर

## आदेश

1/10/21

आवदेक इसमाईल हेम्ब्रम ने दिनांक 18.01.2018 को आवेदन देकर मौजा मेंहदीपर के ग्राम समिएल हेम्ब्रम, पे0– स्व0 प्रधान हेम्ब्रम को प्रधानी पद से हटाने के संबंध में आवेदन दाखिल किये है। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांगी की गई।

नोटिस तामिला प्राप्त। आवेदक अनुपस्थित। फलस्वरुप विपक्षी को एक पक्षीय सुना। विपक्षीगण ने संक्षिप्त में कहा कि समिएल हेम्ब्रम मौजा मेंहदीपुर, थाना नं0– 237 का विधिवत प्रधान है, जो अपना प्रधानी कार्य नियमानुसार शांतिपूर्वक ढंग से करते आ रहे हैं तथा गांव के हर तरह के विकास, विचार, मिटिंग, शादी विवाह, जन्म–मृत्यू, राजस्व कार्य इत्यादि में हमेशा सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। इनके प्रधानी कार्य से ग्रामीण रैयत संतुष्ट है। किसी भी ग्रामीण रैयतों को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन गांव के इसमाईल हेम्ब्रम अपने नीजी स्वार्थ हेतु एवं व्यक्तिगत द्वेष की भावना से प्रधान के विरूद्ध प्रधानी डिसमिस का वाद लाया है, जो बिल्कुल ही विधि सम्मत नहीं है। आवेदक के द्वारा लगाये गये आरोप गलत है तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रधानी डिसमिसल नियम के अनुरूप नहीं है। यह कि प्रधान समिएल हेम्ब्रम के पूर्वज धुमा हेम्ब्रम , मंडल हेम्ब्रम इत्यादि ये सभी मौजा मेंहदीपुर के प्रधानी कार्य अपने सेवा काल में संतोषजनक तरीके से निभाये हैं, वर्तमान में समियल हेम्ब्रम भी प्रधानी कार्य को सही ढंग से सुचारू रूप से चला रहे हैं।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि आवेदक के आवेदन पत्र को खारिज करने का अनुरोध किये है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने पत्र सं0 293/रा0, दिनांक 05.04.2019 एवं 368/रा0, दिनांक 05.05.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा मेंहदीपुर, थाना नं0– 237 में सामुएल हेम्ब्रम, पिता– स्व0 प्रधान हेम्ब्रम, वर्तमान में पट्टाधारी प्रधान हैं। पट्टा का अवलोकन करने पर पाया कि अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल के पी0ए0 वाद सं0– 08/2017–18 दिनांक 02.11.2017 द्वारा पट्टा प्राप्त है एवं उक्त अवधि से प्रधानी कार्य सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। गांव में इनके विरूद्ध ग्रामीणों से किसी प्रकार का शिकायत नहीं पाया गया। ग्राम प्रधान समुएल हेम्ब्रम के विरूद्ध आवेदक इसमाईल हेम्ब्रम, पिता– स्व0 दानिएल हैम्ब्रम, सा0– मेंहदीपुर के द्वारा लगाये आरोप का जाँच किया गया, जिससे पता चला कि प्रधान समुएल हेम्ब्रम कार्य के समय नशा नहीं करता है। प्रधान से पुछताछ करने पर बताया कि प्रधान बहाली के उपरांत लगान रसीद ऑनलाईन के माध्यम से काटना है। सामुएल हेम्ब्रम, प्रधान की भाभी मुखिया है, जो अलग रहती है एवं इसके अलावे जो भी आवेदक के द्वारा सामुएल हेम्ब्रम प्रधान पर आरोप लगाया है, बेबुनिया एवं तथ्य से परे है। सामुएल हेम्ब्रम प्रधान की बहाली विधिवत 16 आना रैयतों के बीच ग्राम सभा के माध्यम से हुआ था। इस प्रकार आवेदक इसमाईल हेम्ब्रम, पिता– स्व0 दानिएल हेम्ब्रम, सा0– मेंहदीपुर ने जहां तक प्रधान सामुएल हेम्ब्रम के विरूद्ध जितने आरोप प्रत्योरोप दायर किये हैं, बिल्कुल निरर्थक एवं सरासर गलत है से संबंधित

4/10

Digitally signed by KAPIL KUMAR
Date: 2024.07.08 17:18:42 +05:30
Location: 192.168.0.140

Scanned with OKEN Scanner